खाता खोलने का फॉर्म (जमा खाता)

निवासी व्यक्तियों के लिए

दी बेगूसराय सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि.

प्रधान कार्यालय – बेगूसराय

शाखा – ....

The Begusarai Central Co-operative Bank Ltd.

फार्म 60/61 (पैन नम्बर न रखने वालों द्वारा भरा जाए)

फार्म 60

(नियम देखें–114 बी (क)

क्या आप कर निर्धारिती है ☐ हां ☐ नहीं यदि हां तो

क) वार्ड/सर्किल/रेंज का विवरण जहां पिछली आय रिर्टन फाइल की गई थी. ____________________

ख) पैन नंबर नहीं होने का कारण : ____________________

फार्म 61

उस व्यक्ति द्वारा भरा जाए जिसकी केवल कृषिगत आय हो और कोई ऐसी आय न हो जिस पर आयकर प्रभारित की जाती हो.

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी आय का स्त्रोत कृषि है और मुझे अन्य किसी भी आय पर, यदि कोई हो, आयकर अदा नहीं करता है.

सत्यापन

मैं ____________________ एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि जो भी दर्शाया गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है.

वर्ष 20 __________ की __________ तारीख __________ (दिन) को सत्यापित

दिनांक स्थान : __________ __________ घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

फार्म डी ए–1 (नामांकन फार्म)

बैंक जमाओं के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडए और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 के नियम (1) के अंतर्गत नामांकन।

नामांकन क्रम संख्या ....

मैं/हम ____________________ निम्नलिखित व्यक्ति को नामांकित करता/करती हूँ/करते हैं जिसे मेरी / हमारी / अवयस्क की मृत्यु पर जमा राशि, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वापस की जाए। नामांकन क्रम संख्या

____

(जिस शाखा/कार्यालय में राशि जमा रखी गई है, उसका नाम एवं पता)

जमा राशियों का ब्यौरा :

जमा राशि का प्रकार : __________ खाता संख्या : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

अतिरिक्त ब्यौरा, यदि कोई हो : ____________________

नामिती का ब्यौरा :

नाम : ☐☐

जमाकर्ता के संबंध : __________ आयु : ☐☐ नामिती की जन्मतिथि : ☐☐☐☐☐☐☐☐

पता : ☐☐

शहर : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ पिन : ☐☐☐☐☐☐☐☐ राज्य : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

नामित की सीआइएफ संख्या (एलसीपीसी के द्वारा भरी जाए) : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

चूंकि नामिती इस तिथि को अवयस्क है, मैं/हम श्री/श्रीमती/ कुमारी ____________________ आयु : ______ वर्ष

पता : ____________________

____

को नामिती की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने पर नामिती की ओर से जमा राशि प्राप्त करने हेतु नियुक्त करता / करती हूं /करते हैं।

दिनांक : ☐☐☐☐☐☐☐☐

स्थान : __________

जमाकर्ता (ओं) के हस्ताक्षर / अगूँठे का निशान

◄ कृपया केवल काली स्याही से ही हस्ताक्षर करें

प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर / अगूँठे का निशान**	द्वितीय साक्षी के हस्ताक्षर / अगूँठे का निशान**
नाम : __________	नाम : __________
पता : __________	पता : __________

* यदि जमा राशि अवयस्क के नाम में हो, तो विधि अनुसार कार्रवाई करने के पात्र अथवा अवयस्क की ओर से कार्रवाई करने का पात्र किसी व्यक्ति द्वारा नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

प्रत्येक आवेदक द्वारा अलग–अलग भरा जाए (केवल नए ग्राहकों के लिए)

दी बेगूसराय सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
The Begusarai Central Co-operative Bank Ltd.

(केवल कार्यालय उपयोग के लिए) सी आएएफ सं. ______

खाता सं. ______

दिनांक : ______

शाखा नाम और कोड नम्बर की रबड़ स्टाम्प लगाएं

एकल/प्रथम आवेदक

1. कृपया स्पष्ट अक्षरों में भरे और हस्ताक्षर हेतु काले रंग की स्याही का उपयोग करें। कृपया दो शब्दों के बीच में एक बॉक्स खाली छोड़ें। उपयुक्त बॉक्सों में टिक () करें।
2. तारक (*) लगाए गए रिक्त स्थानों को भरना अनिवार्य नहीं हैं।
3. नियत बॉक्स में पासपोर्ट आकार का एक फोटो चिपकाएँ। पासबुक में चिपकाने हेतु दूसरा फोटो भी संलग्न करें।
4. अवयस्कों के खाते खोलने हेतु, जहां पहचान/पते का प्रमाण उपलब्ध नहीं है, यह पिता/माता और नैसर्गिक अभिभावक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
5. निरक्षर ग्राहको के मामलें में, बाएँ अंगुठे का निशान लगाकर सत्यापित किया जाए।

व्यक्तिगत विवरण

ग्राहक का प्रकारः ☐ पब्लिक ☐ स्टाफ वरिष्ठ नागरिकः ☐ हां अवयस्कः ☐ हां

नामः ☐ श्री ☐ सुश्री ☐ श्रीमती. अन्य

______

पिता/पति/अभिभावक का नामः ☐ श्री ☐ सुश्री ☐ श्रीमती. ☐ अन्य

______

जन्म तिथिः ______ लिंगः ☐ पुरूष ☐ महिला राष्ट्रीयता : ______

माता का विवाहपुर्ण नामः ______ वैवाहिक स्थिति : ☐ विवाहित ☐ अविवाहित ☐ अन्य

विशष पहचान संख्या (यूआइडी): ______ पिता/माता की यूआइडी (यदि आवेदकअवस्यक है): ______

विशिष्ट पहचान संख्या

पत्र व्यवहार का पता (वर्तमान निवास/कार्यालय)

______

______

निकटवर्ती प्रमुख स्थानः ______

शहरः ______ पिन नम्बरः ______ राज्यः ______

टेलीफोन नम्बरः ______ मोबाईल नम्बरः ______

मोबाईल नम्बर का उपयोग एसएमएस अलर्ट्स भेजने के लिए किया जाएगा।

स्थायी पता

निकटवर्ती प्रमुख स्थानः ☐

______

______

निकटवर्ती प्रमुख स्थानः ______

शहरः ______ पिन नम्बरः ______ राज्यः ______

टेलीफोन नम्बरः ______ फैक्स नम्बरः ______

ई–मेल का पताः ______

ई–मेल पते की आवश्यकता अलर्ट्स व ई–विवरणों के लिए है।

अतिरिक्त विवरण (जहां भी लागू हो)

आयः ______ ☐ मासिक ☐ वार्षिक सम्पत्ति (अनुमानित मूल्य) : रू. ______

*धर्मः ☐ हिन्दू ☐ मुस्लिम ☐ ईसाई ☐ सिख ☐ अन्य ______

*श्रेणी ☐ सामान्य ☐ ओबीसी ☐ अनु.जाती ☐ अनु.जन जाति

शैक्षणिक योग्यताः ☐ गैर–स्नातक ☐ स्नातक ☐ स्नातकोत्तर ☐ अन्य ______

रोजगार का प्रकारः ☐ वेतनभोगी ☐ स्वनियोजित ☐ व्यवसाय ☐ सेवानिवृत्त ☐ छात्र ☐ अन्य ______

संगठन का नामः ______ *पदनाम/व्यवसाय ______

पासपोर्ट सं. ______ *अन्य ______ ______

मतदाता पहचान पत्र/ ड्राइविंग लायसेंस/ सरकारी/रक्षा पहचान पत्र कार्ड सं.

आयकर पैन ______ या फॉर्म 60/61 ☐

यदि पैन उपलब्ध न हो तो कृपया फॉर्म 60/61 भरें

वाहन ☐ कार ☐ दुपहिया ☐ अन्य ______

जीवन बीमा मूल्यः ☐ रू. 2 लाख तक ☐ रू. 5 लाख तक ☐ रू. 5 लाख से अधिक

वर्तमान ऋणः ☐ कार ऋण ☐ आवास ऋण ☐ वैयक्तिक ऋण ☐ शिक्षा ऋण ☐ व्यवसाय/कृषि ऋण

आवासः ☐ पैतृक ☐ स्वयं के नाम में ☐ किराये का ☐ नियोक्ताओं का

कृपया निम्नलिखित मे से चयन करें (यदि स्टाफ/भूतपूर्व स्टाफ है तो क.कू.सं. का उल्लेख करें:

नाबालिग	वरिष्ठ नागरीक	स्टाफ (क.कू.स.)	भूतपूर्व स्टाफ (क.कू.स.)	पेंशनर	एनआरआई	अन्य/सामान्य

अभिभावक का नाम (नाबालिग के मामले में) नाबालिग के साथ रिश्ता (एक का ... निर्दिष्ट करें)

पहचान संबंधी विवरण

केवल पासपोर्ट जहां पासपोट में दिया गया पता इन फॉम के प्रथम पृष्ठ उल्लिखित पत्रव्यवहार के पते के समान है।

जारीकर्ता | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | जारी करने की दिनांक | | | | | | | | |

या

फोटो पहचान और पते के प्रमाण के लिए निम्नलिखित दो स्तम्भों में से प्रत्येक मे से कोई एक दस्तावेज (कृपया उपयुक्त बॉक्स में टिक करें और नीचे विवरण प्रस्तुत करें):

पहचान का प्रमाण		पते (पत्र व्यवहार के पते) का प्रमाण	
क) पासपोर्ट/पीपीओ, यदि पता खाता खोलने के फॉर्म में उल्लिखित पते से अलग हो	☐	क) क्रेडिट कार्ड विवरण	☐
ख) मतदाता पहचान–पत्र	☐	ख) वेतन पर्ची (पते के साथ)	☐
ग) पैन कार्ड	☐	ग) आय कर / धन–संपदा कर निर्धारण आदेश	☐
घ) सरकारी / रक्षा सेवा पहचान पत्र	☐	घ) बिजली बिल	☐
ङ) प्रतिष्ठित नियोक्ता का पहचान पत्र	☐	ङ) टेलिफोन बिल	☐
च) ड्राइविंग लाइसेंस	☐	च) बैंक खाता विवरण	☐
छ) डाकघर द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	☐	छ) प्रतिष्ठित नियोक्ता का पत्र	☐
ज) यूजीसी/ एआसीटीई द्वारा अनुमोदित विश्वविधालयों/ संस्थानों के प्रमाणिक छात्रों को जारी फोटो पहचानपत्र	☐	ज) किसी मान्याप्राप्त सरकारी संस्था का पत्र	☐
		झ) राशन कार्ड	☐
		ट) पंजीकृत लीव–लाइसेंस करार/विक्रय विलख/पट्ट करार की प्रतियां	☐
झ) किसी मान्यताप्राप्त सरकारी प्राधिकरण या सरकार कर्मचारी का पत्र जिसमें ग्राहक की पहचान एवं निवास का पता सत्यापित किया गया हो।	☐	ठ) विश्वविधालय/संस्थान(यूजीसी/एआर्ससीटीई द्वारा अनुमोदित) के होस्टल जहां छात्र रहता है, के वार्डन द्वारा जारी प्रमाण पत्र*	☐
		ड) संबंधियों के साथ रहने वाले छात्रों के लिए, संबंधियों के पते के प्रमाण के साथ उनकी पहचान का प्रमाण भी*	☐
सं. जारीकर्ता: जारी करने की दिनांक:		सं. जारीकर्ता: जारी करने की दिनांक:	

कृपया पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण की स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित एक–एक प्रति संलग्न करें, जिनकी मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करनी होंगी।

*बचत बैंक नियत देखें।

परिचय विवरण

मैं ______________________ जिसकी सीआएफ सं. | | | | | | | | | | | | | | है, पुष्टि करता /करती हूँ कि मैं पिछले ____________ माह/वर्षो से बैंक का/ की एक खाताधारक हूँ जिसकी खाता संख्या | | | | | | | | | | | | है और आवेदक (आवेदकों) को ____________ माह/वर्षो से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और उसकी/उनकी पहचान और उपर्युक्त पते की पुष्टि करता/करती हुँ और इस फॉर्म के तिसरे पृष्ठ के साथ संलग्न फोटो भी प्रमाणीत करता/करती हूँ।

केवल छोटे खाते के मामले में आवश्यक है। यदि पूर्ण केवाईसी अपेक्षाओं को पूरा करे लिया गया है, तो आवश्यक नहीं।

दिनांक : | | | | | | | | |

परिचयदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता (हस्ताक्षर नमूना क्रमांक और स्टाम्प)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट उदारीकृत केवाईसी मानदण्डों के अंतर्गत मेरे छोटे जमा खाते को खोलने के लिए बैंक द्वारा सहममि प्रदान करने के साथ जव कमी भी मेरे खाते में इस संबंध में निर्धारित सीमाओं से आधिक के शेष या कुल वार्षिक लेनदेन अधिक होन पर अपेक्षत केवाईसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का मैं वचन देता/देती हूँ। हमारें द्वारा ऐसा नहीं करने पर भा.रि.बैंक निर्देनुसार बैंक को यह अधिकार है कि वह पर्व सूचना देकर खाते का परिचालन रोक दें।

आवेदक के हस्ताक्षर

अन्य खातों के विवरण

कृपया हमारे / अन्य बैंक में आपके अन्य खातों के विवरण प्रस्तुत करें। अनिवार्य

बैंक	शाखा	खाता/ सुविधा (ओं) का (के) प्रकार	खाता संख्या

दिनांक : | | | | | | | | |

स्थान : ____________

जमाकर्ता के हस्ताक्षर / अगूंठे का निशान

(केवल काली स्याही से हस्ताक्षर करें)

कार्यालय उपयोग हेतु

एक या दो पहचान चिन्ह, जैसे तिल या दाग, यदि कोई हो, के विवरण (निरक्षक के लिए अनिवार्य) ____________

सत्यापनकर्ता अधिकारी/सीआइएफ खोलें		सीआइएफ खोली गई
हस्ताक्षर:		
नाम:	नमूना हस्ताक्षर क्रमांक:	(प्राधिकृत हस्ताक्षरी)

The Begusarai Central Co-operative Bank Ltd.

दिनांक ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ (केवल कार्यालय के उपयोग हेतु) खाता स. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

शाखा नाम एवं कोड नम्बर की रबड. स्टाम्प लगाएं।

खाते का प्रकार

बचत बैंक खाता (चैक बुक के साथ)	☐	आवर्ती जमा	☐
बचत बैंक खाता (बिना चैक बुक)	☐	सावधि जमा	☐
नो–फ्रिल्स खाता	☐	विशेष सावधि जमा	☐
सेविंग्स प्लस खाता	☐	बहु–विकल्प जमा योजना निम्न से संबद्ध	☐
प्रीमियम बचत खाता	☐	बचत खाता ☐ चालू खाता ☐	
चालू खाता	☐	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) ________	

कृपया खोले जाने वाले खाते का प्रकार टिक करें। विभिन्न योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया बैंक के पदाधिकारियों से संपर्क करें।

आवेदक (कों) के विविरण:

एकल/प्रथम धारक का नाम: सीआइएफ सं. (शाखा/एलसीपीसी द्वारा भरी जाए) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐

द्वितीय धारक का नाम : सीआइएफ सं. (शाखा/एलसीपीसी द्वारा भरी जाए) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐

तृतीय धारक का नाम : सीआइएफ सं. (शाखा/एलसीपीसी द्वारा भरी जाए) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐

खाता नाम :

खाता नाम जैसा कि पासबुक/खाता विवरण पर लिखा जाएगा (केवल संयुक्त खातों के लिए)

☐☐

अपेक्षित सेवाएं :

1. एटीएम–सह–डेबिट : (अंतर्राष्ट्रीय कार्ड और उसी प्राकर के अन्य कार्डों के लिए, अलग से आवेदन प्रस्तुतकिया जाए)

आवेदक संख्या	कार्ड का प्रकार	नाम जैसा कार्ड पर लिखा हो
प्रथम	☐ देशीय स्वर्ण अंतर्राष्ट्रीय ☐ ________	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
द्वितीय	☐ देशीय स्वर्ण अंतर्राष्ट्रीय ☐ ________	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
तृतीय	☐ देशीय स्वर्ण अंतर्राष्ट्रीय ☐ ________	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

किसी अन्य खाते का उल्लेख करें जिसे आप सम्बद्ध करना चाहते हैं:

खाता प्रकार	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
खाता प्रकार	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2. इंटरनेट बैंकिंग: देखने के अधिकतर किसे दिए जाने है: ☐ प्रथम आवेदक ☐ द्वितीय आवेदक ☐ तृतीय आवेदक लेन–देन के अधिकार किसे दिए जाने है: ☐ प्रथम आवेदक ☐ द्वितीय आवेदक ☐ तृतीय आवेदक
3. मोबाइल बैंकिंग: मोबाइल बैंकिंग सुविधा इस नम्बर पर उपलब्ध करें:________________
4. एसएमएस अलर्ट्स : भाग–1 में उल्लिखित मोबाइल नम्बर पर एसएमएस अलर्ट्स ☐ चाहिए ☐ नहींचाहिए
5. चैक बुक: चैक बुक का प्रकार: ☐ साधारण ☐ बहु–शहरी* ☐ दोनों प्रकार की. *बहुनगरीय चैक्स पर शुल्क लागू
6. विवरण किस अंतराल पर चाहिए (चालू खाते के लिए) ☐ मासिक ☐ त्रैमासिक ☐ अर्धवार्षिक
   भाग–1 में उल्लिखित ई–मेल आइडी पर ई–विवरण भेजना: ☐ भेजा जाए ☐ नहीं भेजा जाए

परिचालन–विधि

☐ केचल स्वयं ☐ कोई एक या उत्तरजीवी ☐ पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी ☐ कोई भी या उत्तरजीवी ☐ संयुक्त रूप से ☐ अन्य ________

नमूना हस्ताक्षर

इस बॉक्स के अंदर पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं प्रथम आवेदक	इस बॉक्स के अंदर पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं द्वितीय आवेदक	इस बॉक्स के अंदर पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं तृतीय आवेदक

कृपया केवल काली स्याही से हस्ताक्षर करें।

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान/प्रथम आवेदक हस्ताक्षर	नमूना हस्ताक्षर सं. और सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान/द्वितीय आवेदक हस्ताक्षर	नमूना हस्ताक्षर सं. और सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान/तृतीय आवेदक हस्ताक्षर	नमूना हस्ताक्षर सं. और सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम

The Begusarai Central Co-operative Bank Ltd.

1. सावधि जमा ☐ विशेष सावधि जमा ☐

राशि : रू. ______________ (शब्दों में) ______________________________

अवधि : __________ वर्ष ________ माह ____________ दिन. सावधि जमा के मामले में, देय ब्याज : ☐ मासिक ☐ त्रैमासिक

परिपक्वता अनुदेशः		भुगतान अनुदेश (मूलराशि एवं ब्याज):
☐ मूलराशि का स्वतः नवीकरण* ☐ मूलराशि और ब्याज का स्वतः नवीकरण* ☐ मूलराशि का स्वतः नवीकरण और ब्याज का भुगतान*	निम्न अवधि के लिए स्वतः नवीकरण ______ वर्ष ______ माह ______ दिन	☐ मेरे निम्न बैंक खाते में जमा करें. खाता सं. :
☐ मूलराशि एवं ब्याज का भुगतान करें ☐ मूल राशि का भुगतान करें*		☐ बैंकर के चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा

*नवीकरण उस समय लागू ब्याज दर पर किया जाएगा।

2. बहु–विकल्प जमा योजना

मैं/हम एतदद्वारा बचत बैंक और चालू खाते के लिए सामान्यतः लागू सेवा शुल्क वसूल करने हेतु मेरे/हमारे खाते को नामे करने के लिए सहमति देता हूँ/देते हैं।

संबंधित बचत बैंक/चालू खाता सं.

3. आवर्ती जमा

मासिक किस्त रू. ______________________ ☐ स्थायी अनुदेश (यदि कोई हो) खाता क्रमांक __________ के नामे करें।

अवधि : __________ वर्ष ________ माह ☐ परिपक्वता पर, प्राप्त राशियों को खाता क्रमांक __________ में जमा करें।

4. सेविंग्स प्लस ☐ प्रीमियम बचत खाता ☐

स्वतः अंतरण (आटो स्वीप) सुविधा के अंतर्गत बचत/चालू खाता सावधि जमा खाते से जुड़ा रहता हे। आपके सेविंग्स प्लस/प्रीमियम बचत खाते में प्रारंभिक राशि से अधिक जमा राशि, एक बार में रू. 100,000/– की न्यूनतम राशि और रू. 1000/– के गुणक में, बहु–विकल्प जमा (एमओडी) में अंतरित हो जाती है और इस पर बहु विकल्प जमा (एमओडी) के लिए लागू ब्याज दर से ब्याज मिलता है।

प्रारंभिक राशि* रू.

जरूरी न्यूनतम जमा राशि :
सेविंग्स प्लस खाता : रू. 5000/–
प्रीमियम सेविंग्स खाता : रू. 25,000/–

अंतरण का समय :————— प्रत्येक सप्ताह का दिन (उदाहरण के लिए सोमवार, मंगलवार को), (केवल सेविंग्स प्लस खाते के लिए) या उदाहरणार्थ प्रत्येक माह प्रथम, द्वितीय दिन) दिनांक __________ से।

एमओडी (मोड) को तोड़ने के लिए रिवर्स स्वीप सुविधा के अंतर्गत, मोड़ को तोड़ा जाएगाः ☐ प्रथम को आखिर में ☐ प्रथम को प्रथम में।

5. नो–फ्रिल्स खाता

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी वर्तमान कुल मासिक आय रू. 5,000/– से अधिक नहीं है। जब कभी भी यह रू. 5,000/– से अधिक होती है, मैं आपको सूचित करूंगा/करूंगी। मैं समझता/समझती हूँ कि आवर्ती जमा या सावधि जमा जैसे अन्य देयता उत्पाद सहित मेरे व्यवसाय संबंध की राशि रू. 10,000/– से अधिक होती है, तो यह खाता नो–फ्रिल्स खाता नहीं रह जाएगा। उसके बाद यह एक सामान्य बचत बैंक खाता माना जाएगा और इस प्रकार के खातों के लिए लागू निबंधन एवं शर्तें इस पर लागू होंगी। मैं समय–समय पर निर्धारित 'अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी मानदण्डों का पालन करूंगा/करूंगी।

6. कोई एक या उत्तरजीवी या कोई भी या उत्तरजीवी परिचालन विधि वाले संयुक्त खातों के लिए

हम सूचित करते हैं कि सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक हम में से किसी को भी नियम तिथि से पूर्व या किसी भी दिन, नियम तिथि को या उसके बाद और जहां नियम तिथि निर्धारित नहीं है, वहां मांग पर मूलराशि का ब्याज सहित भुगतान कर सकता हैं। हम में से किसी एक को किया गया भुगतान तब तक बैंक के हम सभी के प्रति बैंक के दायित्व से मुक्त कर देगा, जब तक तक कि आपको हम दोनों या हम सभी से इसके विपरीत कोई सूचना प्राप्त नहीं होती। किसी एक की मृत्यु के मामले में उत्तरजीवी, (उत्तरजीवियों) को राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

मैंने/हमने चुने गए उत्पादों/सेवाओं के नियमों एवं विनियमों को पढ़ और समझ लिया है और उनके संचालन से संबंधित निबंधनों एवं शर्तों और समय–समय पर उसमें होने वाले परिवर्तनों का भी पालन करने के लिए मैं/हम सहमत हूँ/हैं। बचत बैंक नियमों एवं विनियमों की एक प्रति टियर ऑफ मोड़ के द्वारा मुझे उपलब्ध करा दी गई है।

प्रथम आवेदक के हस्ताक्षर	द्वितीय आवेदक के हस्ताक्षर	तृतीय आवेदक के हस्ताक्षर

कृपया केवल काली स्याही से ही हस्ताक्षर करें

नामांकन :

नामांकन यदि आवश्यक हो, तो पृष्ठ सं. 2 पर फॉर्म डीए–1 भरें, अन्यथा नीचे हस्ताक्षर करें।

मैं/हम इस खाते में किसी व्यक्ति का नामांकन नहीं चाहता/चाहती हूँ/हैं।

कृपया केवल काली स्याही से ही हस्ताक्षर करें

कार्यालय उपयोग हेतु

प्रमाणित किया जाता हैं कि जमाकर्ता को खाते के परिचालन हेतु निहितार्थी एवं शर्तो को स्पष्ट कर दिया गया है (केवल निरक्षर आवेदक के मामले में)

खाता खोलें:	खाता संख्या दी गईः
दिनांक (प्राधिकृत हस्ताक्षरी)	दिनांक (प्राधिकृत हस्ताक्षरी)

i) इंटरनेट बैंकिंग अधिकार देखने हेतु ______________

i) आइएनबी देखने ☐ लेन–देन करने ☐ के अधिकार देने की तिथि

i) मोबाइल बैंकिंग एमपीआईएन दिए जाने की तिथि

i) एटीएम कार्ड डाटा अंतरित करने की तिथिः

i) नामांकन क्रमसंख्या :

vii) व्यवसाय प्रतिनिधि/व्यवसाय सहयोगी के माध्यम से खोला गया खाता – हां/नहीं

यदि हां, तो नाम / पदनाम : ______________

व्यवसाय प्रतिनिधि/व्यवसाय सहयोगी का कोड क्रमांक :

viii) राशि अंतरित करने/मूल शाखा में परिवर्तन करने की तिथि :

दी बेगूसराय सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि.

The Begusarai Central Co-operative Bank Ltd.

इसे फाड़कर ग्राहक को दिया जाए

'अपने ग्राहक को जानिए, संबंधी दिशा–निर्देश

हर वह व्यक्ति खाता खोलने की अपेक्षाओं को पूरा करके बचत बैंक खाता खोल सकता है जो निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए सहमत हो और बैंक की अपेक्षा के अनुसार अपनी पहचान और अपने पते का प्रमाण प्रस्तुत करे.

पहचान का प्रमाण

1. पासपोर्ट, यदि पता खाता खोलने के फॉर्म में उल्लिखित पते से अलग हो.
2. मतदाता पहचान–पत्र यदि पता खाता खोलने के फॉर्म में उल्लिखित पते से अलग हो
3. पैन कार्ड
4. सरकारी/रक्षा सेवा पहचान पत्र
5. प्रतिष्ठित नियोक्ताओं के पहचान पत्र
6. ड्राइविंग लाइसेंस
7. पेंशन भुगतान आदेश(सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), यदि पता खाता खोलने के फॉर्म में उल्लिखित पते से अलग हो
8. डाकघरों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
9. यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों/संस्थानों के प्रामाणिक छात्रा को जारी फोटो पहचान पत्र
10. किसी मान्यताप्राप्त सरकारी प्राधिकरण या सरकारी कर्मचारी का पत्र जिसमें बैंक की संतुष्टि के अनुसार ग्राहक की पहचान एवं निवास के पते को सत्यापित किया गया हो।

पते का प्रमाण

1. क्रेडिट कार्ड विवरण
2. वेतन पर्ची
3. आय कर /धन–संपदा कर निर्धारण
4. बिजली बिल
5. टेलीफोन बिल
6. बैंक खाता विवरण
7. किसी प्रतिष्ठित नियोक्ता का पत्र
8. किसी मान्यताप्राप्त सरकारी प्राधिकरण का पत्र
9. राशन कार्ड
10. पंजीकृत लीव–लाइसेंस करार/विक्रय विलेख/पट्टा करार की प्रतियाँ पते के प्रमाणस्वरूप स्वीकर की जा सकती हैं।
11. छात्रावास द्वारा जारी प्रमाणपत्र और निवास का प्रमाण जिसमें छात्र का स्थानीय और स्थायी पता दिया गया हो और जो उस विश्वविद्यालय/संस्थान के होस्टल के वार्डन जहाँ छात्र रहता है, द्वारा जारी रजिस्ट्रार/प्राचार्य/डीन आफ स्टूडेन्ट वेलफेयर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो। ऐसे खाते शिक्षा पूरी होने/विश्वविद्यालय/संस्थान छोड़ने पर बंद कर दिए जाने चाहिए।
12. ऐसे छात्र जो अपने संबंधियों के साथ रह रहे हैं, संबंधियों के पते के प्रमाण के साथ–साथ उनकी पहचान के प्रमाण को भी स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते संबंधी द्वारा इस बात की घोषणा पत्र दिया जाए कि वह छात्र उनका संबंधी है और उनके साथ रह रहा है।

नामांकन एवं उत्तरजीविता सुविधा

बचत बैंक खातों पर नामांकन सुविधा उपलब्ध है और खाताधारकों को सूचित किया जाता है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों में विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दावे का आसानी से निपटान करने हेतु वे इस सुविधा का लाभ उठाए। नामांकन केवल एक नॉमिती के पक्ष में किया जा सकता है। यदि वे नामांकन करना चाहते हैं, तो वे खाता खोलने के फॉर्म पर इस तथ्य को दर्ज करें और इस पर अपने पूर्ण हस्ताक्षर कर दें। ऐसी परिस्थितियों में उत्तरीजीविता सुविधा वाले संयुक्त खाते का परिचालन उत्तरजीवी द्वारा किया जा सकाता है

नियमों के प्रकार, शेष निर्धारण और सेवा शुल्क

आवेदक चैकबुक सुविधा के साथ या चैकबुक सुविधा के बिना खाते खोल सकते हैं। इस प्रकार के खातों के लिए निर्धारित वर्तमान न्यूनतम तिमाही औसत शेष और न्यूनतम शेष नहीं रखने पर लगने वाले निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह सूचना शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। बचत बैंक खातों में उच्चतम शेष की कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है, सिवा अवयस्क खाते के

अवयस्क के खाते

ऐसे अवयस्क जो एक समान हस्ताक्षर कर सकते हैं और जिनकी आयु 10 वर्ष से कम न हो, अपने एकल नाम से खाते खोल सकते हैं और उनमें अधिकतम रू. 2,00,000/– (रूपये दो लाख मात्र) की राशि जमा रख सकते हैं। अवयस्क अपने अभिभावकों के साथ संयुक्त खाते खोल सकते हैं

खाता कैसे खोला जा सकता है?

सामान्य प्रक्रिया में, खाता खोलने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आवेदक (कों) को व्यक्तिगत रूप से बैंक में उपस्थित होना चाहिए। वे निर्धारित फॉर्म को विधिवत भरेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे। आवेदक अपने हाल के पासपोर्ट आकार के दो फोटो जमा करेगा/करेंगे। खाताधारक के हस्ताक्षर स्पष्ट और सही रूप में होने चाहिए। हस्ताक्षर बड़े एवं मोटे अक्षरें में नहीं होने चाहिए। प्रत्येक खाते को एक अलग संख्या दी जाएगी। बैंक के साथ लेन देन करते समय, खाताधारक (कों) द्वारा यह संख्या अनिवार्य रूप से उद्धत की जानी चाहिए। खाताधारकों से उनके स्वयं के हित में यह अपेक्षा की जाती है कि वे खातों को परिचालन करते समय और बैंक के साथ कोई पत्र–व्यवहार करते समय बैंक में दर्ज एक समान नमूना हस्ताक्षर का अनुसरण करें

पासबुक

खाताधारक को भेजी गई पासबुक और चैकबुक सुरक्षित स्थान पर रखी जानी चाहिए। इस संबंध में खाताधारक की लापरवाही के कारण होने वाली किसी प्रकार की हानि या गलत भुगतान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा धन निकारी फॉर्म के माध्यम से धन निकालने के लिए, पासबुक अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए। चैक फार्मो और डेबिट कार्ड के माध्यम से बिना पासबुक के भी धन निकाला जा सकता है। पासबुक प्रस्तुत किए बिना भी राशि जमा की जा सकती है पासबुक नियमित रूप से उद्यतन करवाई जानी चाहिए। लेनदेन पूरा होने के बाद अद्यतन पासबुक तुरंत खाताधारक को वापस की जाएगी। यदि यह एक सप्ताह के अंदर वापस नहीं ली जाती है, तो यह खाताधारक को उनके खर्च पर पंजीकृत ए.डी. डाक/कुरियर द्वारा वापस भेज दी जाएगी खाताधारक सावधानीपूर्वक अपनी पासबुक की प्रतिष्टियों की जाँच करें और यदि कोई गलतियाँ या चूक पाई जाएँ तो बैंक को सूचित करें।

गुम हुई या कटी–फटी पासबुक के बदले में डुप्लिकेट पासबुक खाताधारक से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर आवश्यक प्रविष्टियां करने, औपचारिकताएं पूरी करने और निर्धारित शुल्कों की वसूली करने के बाद जारी की जाएँगी। इसके लिए वर्तमान निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह सूचना शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है

नियमों में परिवर्तन

बैंक को इन नियमों में से किसी भी नियम में एवं सेवा शुल्कों में परिर्वन करने, हटाने या जोड़ने को अधिकार है जिसके लिए ग्राहक को बैंक की वेबसाइट तथा/अथवा शाखा नोटिस बोर्ड के माध्यम से विधिवत रूप से सूचित किया जाएगा विस्तृत बचत बैंक नियम बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं या अनुरोध करने पर सभी शाखाओं से प्राप्त किए जा सकते हैं.

चेक बुक

खाता खोलने से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद बैंक प्रथम चैक बुक जारी करेगा। एक वर्ष में पच्चीस चैक पन्ने (माइकर और–माइकर दोनों) जारी करने के लिए कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। उसके बाद, ग्राहक के खाते से सेवा शुल्क वसूल किया जाएगा। इसके लिए वर्तमान निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाईट पर उपलब्ध है। यह सूचना शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। खाताधारकों को केवल बैंक द्वारा उन्हें जारी की गई चेक बुकों से ही चैकों को उपयोग करना चाहिए, अन्यथा लिखे गए किसी भी चैक का भुगतान करने से इनकार करने का बैंक को अधिकार है। सामान्यतः बैंक एक बार में एक से अधिक चैक बुक जारी नहीं करेगा या पिछली बार जारी सभी या लगभग सभी चैक पन्नों के समाप्त होने से पूर्व एक से अधिक चैक बुक जारी नहीं करेगा चैक पर लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए और प्रत्येक परिवर्तन या कांट–छांट पूर्ण हस्ताक्षर से प्राधिकृत की जानी चाहिए और इनका बैंक में दर्ज नमूना हस्ताक्षर से मिलान होना चाहिए जारी या गुम हुए चैकों का भुगतान रोकने संबंधी अनुदेश निर्धारित सेवा शुल्क का भुगतान करने पर बैंक के पास पंजीकृत करवाए जा सकते हैं। इसके लिए निर्धारित वर्तमान शुल्क बैंक की वेबसाईट पर उपलब्ध है। यह सूचना शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

खाते में परिचालन

सामान्य

बचत बैंक खाता मूलतः बचत करने की एक सुविधा है और इसलिए चालू खाते के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बैंक, किसी भी कारण के इस बात का विश्वास होने पर कि खाताधारक ने अपने खाते का उपयोग ऐसे किसी प्रयोजन से किया है जिसकी उसे अनुमति नहीं है, खाता बंद कर सकता है।

जमा

खाते में राशि जमा करने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नही है। रू.10/– से कम की नकद जमा स्वीकार नहीं की जाएगी। खाते में जमा करने हेतु केवल खाताधारक के पक्ष में लिखे गए चैक, ड्रॉफ्ट या अन्य लिखित स्वीकार किए जाएंगे। खाताधारक के पक्ष मे पृष्ठांकित अन्य पक्ष वाले लिखित स्वीकार नहीं किए जाएंगे। स्वीकार किए गए लिखतों पर सामान्यतः उनकी राशि वसूल होने तक राशि निकालने की अनुमति नही दी जाएगी, संतोषजनक रूप से संचालित खातो में, रू. 20,000/– तक के जमा किए गए बाहरी लिखतो की राशि तुरंत जमा कर दी जाएगी। इस सीमा मे समय–समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। सामान्य संग्रहण एवं फुटकर शुल्क वसूल किए जाएंगे। इसके लिए निधारित शुल्क एवं चालू सीमा बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह सूचना शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। बाद में बिना भुगतान के वापस आने वाले लिखतो के लिए वसूल किया जाएगा।

धन निकासी

खाताधारक बैंक के मानक धन निकासी फॉर्म का उपयोग करक अपने साधारण बचत बैंक खाते से व्यक्तिगत रूप से धन निकाल सकता/सकती है। धन निकासी फॉर्म के साथ पासबुक प्रस्तुत की जानी चाहिए। धन निकासी फॉर्म का उपयोग खाताधारक द्वारा स्वयं भुगतान प्राप्त करने हुतु ही किया जा सकता है। एटीएम सह डेबिट कार्ड का एटीएमों से नकद धन निकासी हेतु भी उपयोग किया जा सकता है। खाताधारक रू. 50/– से कम राशि नहीं निकाल सकता है। सभी णन निकासियां पूर्ण रूप में होनी चाहिए। धन निकासी फॉर्म के माध्यम से अन्य पक्ष (थर्ड पाटी।) भुगतान अनुमत नहीं है यदि खाताधारक अपने खाते से नकद धन निकालने हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने मे असमर्थ है, तो भुगतान प्राप्त करने के लिए किसी प्राधिकरण प्रतिनिधि के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में एक प्राधिकार पत्र पासबुक के साथ बैंक को भेजा जाना चाहिए एक चक फॉर्म से न्युनकम रू. 50/– की राशि निकाली जो सकती है। एक चेक से अधिकतम राशि की निकासी से संबंध मे कोई उच्चतम सीमा नहीं रखी गयी है एक खाते में अनुमत नामे प्रविष्टियों की अधिकतम संख्या प्रति छमाही 30 है या जो समय–समय पर बैंक द्वारा निर्धारित की गई जिसमें स्टेट बैंक एटएमों और इंटरनेट बैंकिंग जैसे वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल नहीं हैं। उपर्युक्त प्रयोजन हेतु अन्य बैंको के एटीएमों से नकद धन निकासी की गिनती खाते में नामे प्रविष्टि के रूप मे की जाएगी और इन्हें वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से किया गया लेनदेन नही माना जाएगा। इस सीमा से अधिक हाने पर लगने वाल निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह सूचना शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है ऐसी बीमार, वृद्ध या अशक्त खाताधारको के खातो` निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नकद धन निकासी की जा सकती है जो नकद धन निकासी हेतु बैंक में उपस्थित होने असमर्थ है तथा/अथवा हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने में भी समर्थ नही हैं।

ओवरड्राफ्ट

बचत बैंका खातो में ओवरड्राफ्ट केवल पूर्व व्यवस्थाओं के साथ अपवादात्मक परिस्थितिओ मे ही अनुमत किए जा सकते है। खाते में शेष से अधिक राशि निकालने के लिए प्रस्तुत चेक बिना भुगतान के वापस कर दिए जाएंगे। यदि कोई चेक खाते में पर्याप्त राशि की कमी के कारण बिना भुगतान वापस किया जाता हैए तो प्रत्येक बार सेवा शुल्क वसल किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसादट पर उपलब्ध हैं। यह सुचना शाखाओ से भी प्राप्त की जा सकती है।

निष्क्रिय खाते

खाताधारको को सूचित किया जाता है कि वे अपने खाते नियमित रूप से परिचालित करें। परिचालित नहीं हुए खातों को पिछले परिचालन से 24 महीने की निर्धारित समय अवधि के बाद निष्क्रिय खातो के रूप मे वर्गीकृत कर दिया जाता है। ऐसे निष्क्रिय खाते जिनमें निर्धारित न्यूनतम शेष से मक राशि रह जाएगी। निष्क्रिय के रूप में खाते का वर्गीकरण होने के बाद प्रथम वर्ष के अंत मे सेवा शुल्क लगाया जाएगा और उसके बाद यदि खता निष्क्रिय रहता है, तो प्रति वर्ष सेवा शुल्क लगाया जाएगा। यदि उस खाते मे जमा राशि सेवा शुल्क के समान या कम है, तो वहा खाता बंद कर दिया जाएगा और उसकी सूचना खाताधारक को दे दी जाएगी। इस संबंध में वर्तमान शुल्क बैंक की वेबसाईट पर उपलब्ध है। यह सुचना शाखाओ से भी प्राप्त की जा सकती है।

स्थायी अनुदेश

खाताधारक अपने खाते को नामे करके बीमा–प्रीमियम, सदस्यता–शुल्क आदि का आवधिक भुगमान करने हेतु सेवा शुल्को का भुगतान करने पर बैंक से अनुरोध कर सकता है। स्थायी अनुदेश से संबंधित वर्तमान निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह सूचना शाखओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

ब्याज का भुगतान

प्रत्येक कैलेण्डर माह के लिए निर्धारित दर से ब्याज की गणना माह की दस तारीख और माह के आखिरी कार्य दिवस के बीच खाते के न्युन्तम जमा शेष पर की जाएगीं खाते में ब्याज जनवरी और जुलाई मे छमाही अुतराल पर जमा किया जाएगा। यदि च्याज रू.1/ या उससे अधिक होता हे, तो उसका भुगतान किया जाएगा। और उसे निकटतक रूप में पूर्णाकित किया जाएर्गा। बचत बैंक खातो में ब्याज का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशो के अधिन है और उसमें कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से अधिसुचना किया जा सकता है।

खाते का अंतरण और बंद करना

खाताधारक (कों) के अनुरोध पर बैंक की शाखाओं के बीच खाते का अंतरण किया जा सकता है। खाते का बंद करने संबंधी अनुरोध में बंद करने के करण का उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसे अनुरोण के साथ पासबुक, उपयोग में नही लिए हुए चैक पन्ने और एटीएम सह डेबिट कार्ड (मैग्नेटिक स्ट्रिप के आरपार दो टुकड़ो मे काटने के आद) अवश्य संलग्न होन चाहिए। सुयुक्त खाते सभी संयुक्त खाताधारको के हस्ताक्षर होने पर ही बंद किए जा सकते है। यदि किसी खाते को खाता खोलने की तिथि के बारह महीने से पूर्व बंद किया जाता है, तो निर्धारित दर से सेवा शुल्क वसूल किया जाएगा। इसके लिए निर्धिारित वर्तमान शुल्क बैंक की वेबसाइट/शाखा मे उपलब्ध है। यह सुचना शाखाओ से भी प्राप्त की जा सकती है।